ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

निर्वाचन सदन,

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

भारत निर्वाचन आयोग

सं. 23/2016-ई आर एस **दिनांक: 27 फरवरी, 2016**

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(असम, बिहार, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त)

विषयः- निर्वाचक नामावलियों में सुधार लाने और मतदान केन्द्रों की सीमाओं और अवस्थिति के यौक्तिकीकरण के लिए राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों का शुद्धिकरण (एन ई आर पी), 2016 अभियान-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता प्रत्यक्ष रुप से निर्वाचक नामावली के त्रुटिरहित होने पर निर्भर करती है। आयोग का यह सतत प्रयास रहा है कि निर्धारित प्रक्रियाओं और अपेक्षित सुविधाओं तथा तकनीक का प्रभावी प्रयोग करके आंकड़े संबंधी त्रुटियों तथा बहुल प्रविष्टियों को हटाया जाए और पंजीकरण में सुधार लाने के लक्षित प्रयासों द्वारा निर्वाचक नामावली की विश्वसनीयता में सुधार लाया जाए। प्रभावी स्वीप योजनाओं के साथ मिलकर निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण संबंधी ये क्रियाकलाप मतदाताओं को स्वयं ही उनकी बहुल प्रविष्टियां हटवाने और त्रुटियों और पतों में संशोधन कराके उनका अधतन करने में प्रोत्साहित और शिक्षित करेंगे। आयोग ने मतदान केन्द्र संबंधी मामलों यथासमग्र और व्यापक रुप में यौक्तिकीकरण पर चर्चा करने का निर्णय लिया।

2. अभी हाल ही में सम्पन्न हुए एस आर 2016 में बहुत सी कमियों की पहचान करके उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों को संसूचित किया गया है। इन कमियों को जहां तक संभव हो दूर किए जाने की आवश्यकता है।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से आयोग ने " **राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण (एन इ आर पी) 2016** संबंधी गहन अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया है जो कि सभी पात्र नागरिकों के पंजीकरण को शामिल करने के साथ-साथ बार-बार आने वाली और बहुल प्रविष्टियों ; मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाएगा, एपिक की त्रुटियों में संशोधन

करेगा और आंकड़ें संबंधी अन्य त्रुटियों को दूर करेगा। इस अभियान के दौरान पुनरावृत्त फोटोग्राफ सम्बन्धी त्रुटियों को भी ठीक किया जाएगा; जिन मामलों में फोटोग्राफ नहीं हैं, उनके फोटोग्राफ एकत्रित किए जांएगे; खराब गुणवत्ता वाली छवियों को अच्छी गुणवत्ता वाली छवियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। एस आर 2016 की कमियों को यथासंभव तरीके से दूर किया जाएगा।

4. आयोग ने आगे यह भी निर्णय लिया है कि मतदाताओं की सहूलियत और उपलब्ध सुविधाओं तथा मतदान के संचालन की सहजता को ध्यान में रखते हुए आम जनता तथा राजनैतिक दलों सहित सभी पणधारियों के उचित परामर्श के साथ किसी भाग के अंदर खंड, भाग/मतदान केन्द्र की सीमाएं तथा मतदान केन्द्र अवस्थितियों का यौक्तिकीकरण और मानकीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए (i) मतदाताओं के सहयोग और सुविधा हेतु न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का मानचित्रण (बी एम एफ) (ii) सी ए डी तथा जी आई एस मैप जैसी आई टी तकनीकों का प्रयोग करते हुए उन्नत रफ स्केच मैप (नज़रीनक्शा) तैयार करना (iii) मतदान केन्द्र की छवियां (iv) मतदान केन्द्रों तक पंहुचने के लिए मुख्य नक्शा और मतदान वाले दिन मॉडल ले आउट सहित सी ए डी ड्राइंग किया जाना चाहिए।

5. <u>राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण, 2016 अभियान का शुभारंभ 01 मार्च, 2016 से होगा और इसे 31 अगस्त, 2016 को या उससे पहले ही पूरा कर लिया जाएगा 1 मार्च के महीने को तैयारी के चरण के रुप में लिया जाएगा और वास्तविक कार्य 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ होगा।</u>

6. आयोग ने निदेश दिए हैं कि वर्ष 2016 के प्रक्षेपण के लिए वर्ष 2011 का डाटाबेस लिंग अनुपात, निर्वाचक/जनसंख्या अनुपात, आयु वर्ग के संबंध में निर्वाचक नामावलियों में महत्वपूर्ण कमियों का विश्लेषण करने और तुलना करने में बेंचमार्क के रुप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उच्च युवा पंजीकरण (18-19 वर्ष के आयु समूह वाले) तथा 100 % एपिक/फोटो निर्वाचक नामावली को मुख्य ध्यानाकर्षण क्षेत्र के रुप में रखा जाना चाहिए।

7. आपका ध्यान आयोग के दिनाँक 03 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या 23/2016-ई आर एस तथा दिनॉक 05 फरवरी, 2016 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेस चर्चा की ओर आकर्षित किया जाता है। एन ई आर पी, 2016 को कार्यान्वित करने के मुख्य दिशानिर्देश निम्नलिखित अनुसार हैः

7.1 <u>लक्ष्य और उद्देश्य</u>

(क) <u>निर्वाचक नामावली संबंधी गतिविधियां</u>

1. निर्वाचक जनसख्या अनुपात और लिंग अनुपात की कमियों को दूर करने और साथ ही 18-19 वर्ष के आयु समूह में नामांकन को बढ़ाना।
2. एपिक/फोटो निर्वाचक नामावली की 100% कवरेज सुनिश्चित करना।

3. यदि आवश्यक हो तो धुंधली, खराब गुणवत्ता, पुनरावृत्त। फोटो तथा गैर-मानव छवियों को बदलकर अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो सुनिश्चित करना
4. निर्वाचक नामावलियों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों/त्रुटियों का पहचान करना और आई टी टूल्ज़ का प्रयोग करके उनमें सुधार करना और उसके पश्चात निर्वाचक डाटाबेस में आवश्यक संशोधन करना।
5. लाभप्रद रुप से आई टी एप्लीकेशनों का प्रयोग करके निर्वाचक नामावली से किसी भी मृत/स्थानांतरित/बहुल प्रविष्टियों को हटाना।
6. निर्वाचकों और। या उनके परिवार के सदस्यों के संपर्क विवरण इकट्ठे करना (प्रकट करने का विकल्प निर्वाचक के पास रहेगा। यदि प्रकट किया जाता है तो उसे निर्वाचन संबंधी बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। किसी भी स्थिति में डाटा पब्लिक डोमेन पर नहीं डाला जाएगा और न ही किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से उसे साझा ही किया जाएगा)
7. ई आर डाटाबेस के कंट्रोल टेबल का अद्यतनीकरण

(ख) **<u>मतदान केन्द्र संबंधी गतिविधियां</u>**

1. विधमान मतदान केन्द्रों की पार्ट सीमाओं में परिवर्तन और सेक्शनों का मानकीकरण ताकि शहरी क्षेत्र में लगभग 1400 और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1200 की संख्या वाले मतदाताओं के साथ मतदान क्षेत्र के परिपेक्ष्य में सुगठित मतदान केन्द्र बनाया जा सके।
2. जहां कहीं आवश्यक हो नए मतदान केन्द्रों का सृजन और विधमान मतदान केन्द्रों का एकीकरण
3. यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए मतदाताओं को लंबी दूरी (2 किमी से अधिक) तय न करनी पड़े और / या किसी भौगोलिक बाधा यथा नदी, नाला, छोटी नदी, शलाका, घने जंगल इत्यादि पार न करने पड़ें।
4. बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं इत्यादि सहित मतदान केन्द्र के अंदर वैकल्पिक अवस्थितियों की पहचान एवं उनका नक्शा तैयार करना
5. जहां कहीं आवश्यक लगें उचित आयामो और मॉडल ले आउट सहित, बी एम सूचना, मतदान केन्द्र की वास्तविक फोटो, गूगल-मानचित्र और सड़क का दृश्य और वहां कैसे पहुंचे, पर मुख्य नक्शा सहित सी ए डी का प्रयोग करते हुए, सुस्पष्ट मतदान केन्द्र मानचित्र के रुप में रफ स्केच मैप (नज़री नक्शा) बनाना।

7.2 एन ई आर पी 2016 अभियान का निर्वाचन नामावली घटक

(अ) कार्यनीतियां

(क) कमियों की पहचान करना तथा कार्यनीति और समय सीमा को अंतिम रुप देनाः

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी सेवा निर्वाचकों, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों /संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 100 % से कम फोटो निर्वाचक नामावली/एपिक, किसी भी क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में असामान्य रुप से वृद्धि या कमी, विशेष रुप से 18-19 वर्ष के आयु समूह, विभिन्न आयु समूहों में असामान्यता, लिंग अनुपात, निर्वाचक जनसंख्या अनुपात के अनुसार मुख्य कमियां ढूंढने के उद्देश्य से अर्हक तारीख के रुप में 01.01.2016 के संदर्भ में अंतिम रुप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों के संबंध में फार्मेट 1-8 के आकंडों का सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विश्लेषण उचित सावधानी और तत्परता के साथ किया जाना चाहिए। बेहतर विश्लेषण के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों पर भी विचार किया जाना चाहिए और चार्ट इत्यादि का प्रयोग करके तुलना करने से परिदृश्य का बेहतर अभिमूल्यन किया जाना चाहिए। यदि विश्लेषण माइक्रो स्तर अर्थात मतदान केन्द्र स्तर पर किया जाता है तो कमियों का स्पष्ट रुप से प्रकटन किया जा सकता है जो कि वृहत स्तर अर्थात राज्य/जिला या विधान सभा स्तर पर छुप जाती हैं। चूंकि जनसंख्या आयु ब्योरों सहित वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों सम्बन्धी सभी ब्योरे उपलब्ध हैं इसलिए वर्ष 2016 का जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2011 के आधार पर किया जाना जाहिए।

(ii) आंकड़ों का उपर्युक्त विश्लेषण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए जो बूथ लेवल अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा करने के पश्चात सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को विश्लेषणात्मक नोट प्रस्तुत करेंगे, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचकीय आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण कमियों का निर्धारण करने के पश्चात इस संबंध में जांच करें कि क्या सामाजिक, आर्थिक या प्राकृतिक आपदा इत्यादि के कारण प्रव्रजन जैसे ठोस और तार्किक कारण हैं तथा/या नई कालोनियों/निवास स्थानों के बनने से ये कमियां हुई हैं। यदि ऐसा है तो नोट में इसका उल्लेख करें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपना नोट संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करना चाहिए जो इस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अन्य

संबंधित प्राधिकारियों से चर्चा करने के पश्चात कमियों को दूर करने के लिए कार्यनीतियों सहित सी ई ओ को समग्र विश्लेषणात्मक टिप्पणी भेजेंगे। अंततः मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिपोर्टों का जिलावार विश्लेषण करने के पश्चात राज्यीय विश्लेषणात्मक टिप्पणी तैयार करेंगे और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यनीतियां तैयार करेंगे। कमियों की मात्रात्मक दृष्टि से व्याख्या की जानी चाहिए।

(iii) फील्ड निर्वाचन तंत्र, अच्छे प्रशिक्षण के सतत प्रयासों द्वारा महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए उचित कार्यनीतियां बनाना तथा स्वीप के अधीन तैयार की गई प्रकाशन सामग्री का उचित प्रचार प्रसार किया जाए।

(iv) आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि उपर्युक्त कार्य 25 मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए और अभिज्ञात कमियों सहित राज्य की विधान सभावार कार्य योजना, कार्यनीति समय सीमा इत्यादि को निम्नलिखित तीन चरणों में पूरा करने के पश्चात इसे भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिएः

- बी एल ओ (बी एल ओ रजिस्टर सहित) तथा पर्यवेक्षकों के साथ ई आर ओ/ए ई आर ओ द्वारा विश्लेषण (फार्मेट 1 से 8 के साथ)
- ई आर ओ तथा ए ई आर ओ के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा समीक्षा और विश्लेषण
- डी ई ओ के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समीक्षा

(v) इसे कर लेने के पश्चात, निश्चित समय के अंदर उपयुक्त कार्यनीतियों के साथ अभिज्ञात कमियों को पूरा करने के लिए गतिविधियों की पाक्षिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और आयोग के पास 31 अगस्त, 2016 तक पहुंच जानी चाहिए, इस संबंध में उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा किया जाना है।

(vi) इस प्रयोजनार्थ संसाधनों का उचित आंकलन किया जाना आवश्यक है।

(vii) प्रशिक्षण घटक एक महत्वपूर्ण अंग है इसलिए ई सी आई प्रशिक्षण प्रभाग के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक योजना तैयार करेंगे।

(ख) <u>निर्वाचक नामावलियों का शुद्धिकरण</u>

आयोग इस बात की सराहना करता है कि बी एल ओ द्वारा फील्ड सत्यापन, **घर-घर जाकर** निरीक्षण करने हेतु डी-डुप्लीकेशन साफ्टवेयर की रिपोर्ट तथा स्वैच्छिक प्रकटन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों के पिछले पुनरीक्षण और पूर्ववर्ती सतत अधतन के दौरान बार-बार

आने वाली/बहुल प्रविष्टियों को हटाने और निर्वाचक नामावली की त्रुटियों को सही करने में काफी काम किया गया है। तथापि, इस संबंध में अभी भी कुछ काम अधूरा है। अतः आयोग ने यह निर्णय लिया है कि त्रुटियों के सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और पुनरावृत्त/ बहुल प्रविष्टियों को दूर करने का कार्य निर्वाचक नामावलियों के सतत अधतन के दौरान एन ई आर पी, 2016 अभियान में विधि के अधीन यथोचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जारी रखा जाएगा ताकि त्रुटिरहित निर्वाचक नामावलियां प्राप्त की जा सकें। कार्यनीति और समय सीमा का उल्लेख मार्च, 2016 को भेजी जा रही कार्य योजना में किया जाएगा।

(1) **निर्वाचक नामावलियों में त्रुटियों को सही करनाः** सी ई ओ स्तर पर केन्द्रीयकृत ई आर डाटाबेस पर ई डी एस (ऐरर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर) चलाकर नीचे उल्लिखित 17 प्रकार की त्रुटियों में से संभावित त्रुटि सहित प्रविष्टि की कृपया पहचान करेः

i. मतदाता का पहला/ आखिरी नाम निरर्थक/ जंक कैरेक्टर है

ii. पार्ट संख्या निरर्थक/ जंक कैरेक्टर है

iii. मतदाता की क्रम संख्या निरर्थक/ जंक कैरेक्टक है।

iv. सेक्शन नंबर शून्य/ जंक कैरेक्टर है

v. मकान सं. शून्य/ जंक कैरेक्टर हैं

vi. मतदाता संबंध # M,F,H,O या m,f,h,o / जंक कैरेक्टर हैं

vii. मतदाता लिंग M,F,T,G (तृतीय लिंग) / जंक कैरेक्टर है

viii. मतदाता लिंग पुरुष है परन्तु संबंध H/ जंक कैरेक्टर है

ix. मतदाता के रिश्तेदारों के नाम रिक्त/ जंक कैरेक्टर है

x. ई पी आई सी सं 10 से कम है/ जंक कैरेक्टर है

xi. आयु 18 वर्ष से कम है या 100 से अधिक है/ जंक कैरेक्टर है

xii. फोटोग्राफ मौजूद है परन्तु पहचान पत्र सं. उपलब्ध नहीं है

xiii. पहचान पत्र सं. मौजूद है परन्तु फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं है

xiv. रिकार्डों की सूची जिनमें ई पी आई सी सं. दोहराई गई है

xv. मतदाता महिला हैं परन्तु संबंघ 30 वर्ष से कम आयु के मतदाता के लिए पिता के रुप में (F/O) है

xvi. मतदाता स्थिति प्रकार # N,E,S,M,R या n,e,s,m,r/ जंक कैरेक्टर

xvii. कोई मतदाता नहीं , वाले सेक्शनों की संख्या

(2) <u>बहुल/ पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों / बहुल ई पी आई सी संख्याओं की पहचानः</u>

i. संभावित बहुल/ पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर क) भागों के भीतर ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समूचे भागों में, ग) जिले में समूचे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में, घ) राज्य के सभी जिलों में ई आर डाटा बेस पर सेंट्रली प्रयोग किया जाना चाहिए। **भारत निर्वाचन आयोग का आईटी प्रभाग, समानान्तर रुप से त्रुटियों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार कर रहा है/ तैयार किया है तथा इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध-कराया जाएगा। आई टी प्रभाग इस संबंध में अनुदेश जारी कर रहा है।**

ii. यह भी कि उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए, पुनरावृत्त इ पी आई सी नंबरों तथा पुनरावृत्त फोटो के मामले समाप्त कर दिए जाने चाहिएं। भारत निर्वाचन आयोग का आई टी डिवीजन समानान्तर रुप से नेशनल डाटाबेस पर इसी प्रकार का कार्य कर रहा है तथा शीघ्र ही इसके परिणामों को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से साझा किया जाएगा।

iii. इसके उपरान्त, जहां कहीं भी जरुरत हो, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यक फील्ड वेरीफिकेशन किया जाना है।

यह ध्यान रखा जाए किः-

i. ऐसे मामले जहां एक ही इ पी आई सी नंबर को एक से अधिक निर्वाचकों को आबंटित किया गया है इस मामले में, जब निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी स्वयं से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति अलग हैं तथा अलग स्थानों पर निवास करते हैं, तो ऐसे निर्वाचक जिसे पहले इ पी आई सी जारी किया गया था, वे अपना इ पी आई सी अपने पास रखेंगे तथा जिन निर्वाचक/ निर्वाचकों को बाद में वही ई पी आई सी नंबर वाला इ पी आई सी मिला, उनसे पुराने एपिक वापिस लिए जाने के बाद नए इ पी आई सी नंबर वाले एपिक निःशुल्क जारी किए जाएंगे तथा पुराने एपिकों का उचित रिकार्ड रखने के पश्चात इन्हें टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दिए जाने चाहिए।

ii. विभिन्न एपिक नम्बर परन्तु एक ही छवि वाले मामले- यदि एक ही व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टयां हों तो, ऐसे मामले में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा उपयुक्त जांच

अवश्य की जानी चाहिएं। इस मामले में, इसे बहुल प्रविष्टियों के मामले समझे जाएं तथा तद्नुसार इसका निपटान किया जाए। यदि यह पाया जाता है कि वे अलग-अलग-व्यक्ति हैं, तो संबंधित निर्वाचक/ निर्वाचकों से फार्म 8 में सही फोटो लिए जाने के पश्चात गलत फोटो हटा दिए जाने चाहिएं। जहां कहीं आवश्यक हो, पुराने इ पी आई सी को वापिस लिए जाने के पश्चात नए इ पी आई सी निः शुल्क जारी किए जाने चाहिए तथा इसका उचित रिकार्ड रखते हुए पुराने ई पी आई सी को टुकडों में काटकर नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

iii. भारत निर्वाचन आयोग का आई टी प्रभाग एपिक तैयार करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगा ताकि ई पी आई सी नंबरों की पुनरावृत्ति या अलग-अलग ई पी आई सी में एक ही छवि के होने की संभावना को दूर किया जा सके। छवि की गुणवता संबंधी मानकों को परिभाषित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी।

(3) <u>मृत मतदाताः</u>

राज्य विधि के अन्तर्गत मृत्यु सम्बन्धी रिकार्डों को बनाए रखने के लिए प्राधिकृत संबंधित प्राधिकारियों से पिछले 5 वर्षों के रिकार्ड प्राप्त करने चाहिएं। नामावलियों में मृत मतदाताओं की किसी भी संभावित प्रविष्टि की पहचान करने के लिए संबंधित भाग/ भागों में पूरी तरह जांच की जानी चाहिए, तथा यदि ऐसा पाया जाता है, तो बूथ लेबल अधिकारी द्वारा और अधिक फील्ड वेरीफिकेशन के लिए संबंधित भाग/ बी एल ओ रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि को चिह्नित किया जाना चाहिए।

(ग) <u>सत्यापनः</u>

1. किसी विशेष अवधि के दौरान बूथ लेबल अधिकारियों/अन्य फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा एक बार में घर-घर जाकर जांच कर (H2HV) उपर्युक्त सूचियों को सख्यापित किए जाने की जरुरत होगी जिसका निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। बी एल ओ को बी एल ओ रजिस्टर/ नामावली के साथ परिवार का दौरा करना चाहिए तथा सूचियों को सत्यापित किया जाए। यह सुझाव दिया जाता है कि यदि संभव हो तो पूरे राज्य में सूचियों की घर-घर जाकर जांच करने का कार्य किसी सामान्य विनिर्दिष्ट तारीख को ही किया जाए ताकि- निर्वाचक किसी एक स्थान पर सत्यापन समाप्त होने के पश्चात किसी अन्य स्थान पर भी उपस्थित होने हेतु गुप्त रुप से चले जाने की संभावना को दूर किया जा सके। आवश्यक होने पर इसे किसी अन्य तारीख को भी दोहराया जा सकता है।

2. बूथ लेबल अधिकारियों/ अन्य फील्ड कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर जांच किए जाने के दौरान निर्वाचकों तथा/ या उनके परिवार के सदस्यों के सम्पर्क विवरणों जैसे मोबाइल नंबर तथा प्रकार (स्मार्ट फोन/ टेक्स्ट बेस्ड), क्या यह प्राथमिक तथा/ या वैकल्पिक है, लैन्डलाइन नंबर तथा ई-मेल पता एवं माता- पिता के इ पी आई सी के विवरण भी एकत्र करने चाहिए। इसे पूरी तरह स्पष्ट किया जाता है कि इन सूचनाओं को प्रस्तुत करना पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा चूंकि यह बिल्कुल व्यक्तिगत है, अतः किसी भी प्रकार से एवं किसी भी स्थिति में इसे पब्लिक डोमेन में न तो इलेक्ट्रॉनिक रुप में और न ही किसी अन्य रुप में प्रदर्शित किया जाएगा तथा यह संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(घ) <u>निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कार्रवाईः</u>

त्रुटिपूर्ण/ स्थानांतरित/ मृत/ बहुल प्रविष्टियों आदि की सूचियों के सत्यापन के पश्चात संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि फार्म 6, 6क, तथा 8क में समावेशन तथा अंतरण के लिए सभी-फार्म, नागरिकों से प्राप्त प्रविष्टियों में सुधार के लिए फार्म- 7 या 8 के माध्यम से विलोपन के कार्य पूरे किए गए हों तथा जहां कहीं भी अपेक्षित हो, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के साथ पठित सांविधिक प्रावधानों का पालन करते हुए, स्वयं सख्त कार्रवाई करें। जहां कहीं भी संभव हो, फार्म 7,8 या 8क प्राप्त किए जाने चाहिएं।

बी एल ओ एक सत्यापनकर्ता अधिकारी है तथा केवल ई आर ओ/ ए ई आर ओ के पास ही फार्म 6, 6क, 7 या 8 में आवेदन को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार है जिन्हें स्वयं को संतुष्ट करने पर प्रत्येक व्यक्तिगत मामलें में उपयुक्त आदेश पारित करना होता है।

डाटा सुरक्षा पर आयोग के अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। यदि यह पाया जाता हे कि ई आर ओ ने वेंडर या किसी अन्य व्यक्ति के साथ डिजीटल हस्ताक्षर साझा किया है, तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी बनेगा।

(ड़) <u>अनुवीक्षणः</u>

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एन ई आर पी 2016 की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक गहन जांच की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित सूचना भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर विशेष निर्वाचक नामावली परिशोधन के लिए तैयार किए गए डैशबोर्ड में प्रतिदिन अपलोड की जाए तथा तत्काल कार्रवाई एवं इसके अनुपालन हेतु वे आयोग के टिप्पणियों/ निदेशों को पढ़े।

(च) <u>प्रचार-प्रसार तथा इससे संबंधित मामलेः</u>

1. सभी प्रकार के जन सम्पर्क के माध्यम से व्यापक प्रचार अभियान आयोजित किया जाएगा ताकि मतदाताओं को स्वैच्छिक रुप से आगे आकर निर्वाचक नामावली में बहुल प्रविष्टियों तथा एपिक नंबर की पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों के बारे में खुलासा करने तथा मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों को निर्वाचक नामावलियों से ऐसी प्रविष्टियों को हटाने के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
2. अभियान के दौरान राज्य/ जिले स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक की जानी चाहिए ताकि उनकी विशेष शिकायतों को आमन्त्रित किया जा सके और समयबद्ध तरीके से जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों से अनुरोध किया जाए कि वे सभी मतदान केन्द्रों के लिए बूथ लेवल एजेन्टों (बी एल ए) को नियुक्त करें ताकि विशेष निर्वाचक नामावली परिशोधन अभियान के दौरान बूथ लेबल अधिकारियों (बी एल ओ) को पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों या मृत निर्वाचकों की पहचान करने में उनकी मदद मिल सके।
3. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्टों को राजनीतिक दलों के माध्यम से सूचित किया जाए कि वे बूथ लेवल अधिकारियों के साथ उस सूची को देख सकते हैं। प्रासंगिक सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों तथा बूथ लेवल एजेन्टों की एक दिवसीय बैठक रखी जाए।
4. पहले से निर्धारित किए गए दिन को, मतदान केन्द्र वार पुनरावृत्ति/ बहुल प्रविष्टि/ पुनरावृत्ति एपिक संख्या और मृत मतदाताओं वाली सूचियों को, सम्बन्धित वार्डों/ आर डब्ल्यू ए या ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय इकाई की बैठक में बूथ जागरुकता समूहों के सदस्यों की उपस्थिति मे पढ़ा जाए। ऐसी बैठकों का उचित रिकार्ड/ कार्यवृत रखा जाए तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मामलों का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
5. निर्वाचक नामावलियों में संभावित पुनरावृत्त प्रविष्टियों/ बहुल प्रविष्टियों, पुनरावृत एपिक संख्याए तथा मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियों की सूची की प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर इसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा तथा यू आर एल/ वेब लिंक के बारे में राजनीतिक दलों को लिखित में सूचित किया जाएगा तथा उनसे उनके बहुमूल्य इनपुट मांगे जाएंगे। इस संबंध में राज्य तथा जिले स्तर पर एक मीडिया ब्रीफिंग भी की जाएगी।

(छ) <u>शिकायत निवारणः</u>

उपयुक्त आइ टी तकनीकों का प्रयोग करते हुए शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। यदि राजनीतिक दलों या किसी अन्य पणधारियों से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात उन्हें एक उपयुक्त जवाब अवश्य दिया जाए तथा प्राप्त शिकायतों तथा दिए गए जवाब का उचित रिकार्ड रखा जाए।

(ज) <u>प्रशिक्षणः</u>

संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी बूथ लेवल अधिकारी के स्तर तक के सभी निर्वाचन अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विशेष निर्वाचक नामावली परिशोधन अभियान के बारे में एक पुस्तिका सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को वितरित करेंगे एवं सभी पणधारियों के लिए प्रभावी प्रचार सामग्री विकसित करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राज्यों के मुख्यालयों में आई टी एप्लीकेशनों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया जाएगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशक (आई टी) / (प्रशिक्षण) से भी सम्पर्क बनाए रखा जा सकता है।

8. <u>मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण के लिए विशेष अभियानः</u>

आयोग ने यह अनुभव किया है कि मतदान केन्द्रों की अवस्थिति या इनके (भाग) सीमा में बार-बार किए जाने वाले परिवर्तनों से बचा जाए। अतः अपनी विघमान नीति जिसमें प्रत्योक वर्ष मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण किया जाना है, के आंशिक संशोधन में यह निर्णय लिया गया है कि मतदान केन्द्रों की सूची की गहन समीक्षा तथा मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण या तो निर्वाचन वर्ष में किया जाए या इससे एक वर्ष पहले किया जाए। अतः विद्यमान मतदान केन्द्रों की सूची पर दुबारा नजर डालना जरुरी है ताकि यह अगले कुछ वर्षों की जरुरतों को पूरा कर सके।

यदि निर्वाचकों की संख्या में अनुज्ञेय सीमा से अधिक वृद्धि हो तो अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएं। नई कॉलोनियों के विकास की समस्या को हल करने विधमान भवन की खराब स्थिति, उपयुक्त नए भवनों की उपलब्धता, बी एम एफ की स्थिति, भौगोलिक अवस्थिति आदि में परिवर्तन से सम्बंधित मामलों के आलोक में यदि नितान्त आवश्यक हो, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन हेतु तद्नुसार प्रस्ताव भेज सकते हैं।

अतः, एन ई आर पी- 16 के दौरान, सभी- मुख्य निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित कार्य निष्पादित करें-

1) मध्यवर्ती समय के दौरान बसने वाली नई कालोनियों के लिए मतदान केन्द्र उपलब्ध कराना।

2) सहायक मतदान केन्द्रों को मुख्य मतदान केन्द्रों में परिवर्तित करना। इसके लिए उनके मध्य निर्वाचकों के दुबारा विभाजन की आवश्यकता पडेगी।

3) सेक्शन यौक्तिकीकरण तथा मतदान केन्द्र के मतदान क्षेत्र को सघन बनाने के लिए यदि आवश्यक हो तो निर्वाचकों को एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र को आबंटित करना। किसी एक मतदान केन्द्र की सीमाओं के भीतर किसी अन्य मतदान केन्द्र का द्वीप नहीं होना चाहिए।

4) विद्यमान एवं संभावित मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करना और बी एम एफ की स्थितियों की भी जांच करना।

5) विद्यमान एवं संभावित मतदान केन्द्र लोकेशनों और निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भागों के 100% भौतिक सत्यापन के बाद यौक्तिकीकरण किया जाना चाहिए।

100% भौतिक सत्यापन करते समय, सभी विद्यमान मतदान केन्द्रों की जांच विद्यमान दिशा निर्देशों के अनुसार अवश्य होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- क्या विद्यमान मतदान केन्द्र सूची में मतदान केन्द्र के इलाके को सही प्रकार से उल्लिखित किया गया है
- क्या मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है;
- क्या मतदाताओं को मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए नदी/नहरें/बीहड इत्यादि पार करने पड़ते है;
- क्या मतदाताओं को मतदान केन्द्र पहुंचने के लिए 2 कि.मी. से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है;
- क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केन्द्र लोकेशन पर 2 से अधिक मतदान केन्द्र या शहरी क्षेत्रों में 4 से अधिक मतदान केन्द्र हैं;
- क्या भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में या संकटपूर्ण स्थिति में है;
- क्या मतदान केन्द्र कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र 20 वर्ग मीटर है तथा क्या इसमें दो दरवाजे हैं;
- क्या मतदान केन्द्र प्रथम तल पर या इससे ऊपर स्थित है;
- क्या मतदान केन्द्र किसी पुलिस थाना/अस्पताल/धर्मशाला/मंदिर या धार्मिक स्थान में स्थित है;
- क्या किसी राजनीतिक दल का कार्यालय मतदान केन्द्र परिसर से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थित है;

- क्या भवन में बिजली की व्यवस्था है;
- क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैम्प की व्यवस्था की गई है;
- क्या मतदान केन्द्र परिसर में शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं;
- क्या मतदाताओं को धूप तथा वर्षा से बचाने के लिए छाया है;
- क्या मतदान केन्द्र में टेलीफोन की सुविधा है, यदि हां तो उसका फोन नम्बर क्या है,
- ऐसे इलाके जहां प्रमुख रूप से अल्पसंख्यकों , समाज के कमजोर वर्गों जैसे-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग बहुतायत में निवास करते हैं , वहां मतदान केन्द्र ऐसे इलाके में इस प्रकार से स्थित होना चाहिए कि ऐसे समुदाय मतदान केन्द्र में पहुंचने तथा अपना मत डालने से वंचित न रह सकें।

मतदान केन्द्रों के यथा उपर्युक्त भौतिक सत्यापन के बाद नए मतदान केन्द्र के सृजन का प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएः-

- किसी मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचकों की इष्टदतम संख्या ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में 1200 तथा शहरी क्षेत्रों के मामले में 1400 है।
- निर्वाचक नामावली के भाग को उपयुक्त तरीके से विभाजित करते हुए , सभी विद्यमान सहायक मतदान केन्द्रों को मुख्य मतदान केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- यदि किसी गांव में 300 से अधिक निर्वाचक हैं तथा मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध है तो नया मतदान केन्द्र प्रस्तावित किया जा सकता है। (इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है)

- यदि किसी नई कॉलोनी में आवासीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है तो नया मतदान केन्द्र सृजित किया जा सकता है। पास वाले मतदान केन्द्र को आबंटित निर्वाचकों का संख्या सघन होनी चाहिए।
- ऐसे इलाके जहां प्रमुख रुप से अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, में निर्वाचकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना नए/ अलग मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं (नोडल अधिकारी को ऐसे लोगों के कल्याण के लिए कार्यरत एनजीओं/ सिविल सोसाइटी संगठनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार एक लिखित रिपोर्ट देनी चाहिए)
- मतदान केन्द्रों का इस प्रकार से यौक्तिकीकरण किए जाने के पश्चा त मतदान केन्द्रों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन अनिवार्य नहीं रह जाने चाहिएं।
- माओवाद तथा आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों को प्रस्तावित करते समय निर्वाचनों के संचालन के लिए भेजे गए मतदान दलों तथा पुलिस बलों की सुरक्षा का भी

ध्यान रखा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके, इन क्षेत्रों में मतदान केन्द्र ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिएं जहां सुगमतापूर्वक तथा सुरक्षित रूप से पहुंचा जा सके। यह उपयोगी होगा यदि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध बलों की कार्यक्षमता को सर्वाधिक करने और उन्हें गतिशीलता प्रदान करने के लिए मतदान केन्द्रों को समूहों में उपलब्ध करवाया जाए।

- उचित आकारों एवं मॉडल ले आउट के साथ, बी एम एफ सूचना के साथ, मतदान केंद्र की वास्तविक फोटो, गूगल-मैप एवं स्ट्रीट व्यू तथा वहां कैसे पंहुचा जाए, पर मुख्य नक्शे सहित जहां आवश्यकता अनुभव हो, कैड का प्रयोग करते हुए बनाए गए यथार्थ मतदान केन्द्र मैप के तौर पर रफ स्कैच मैप (नाजरी नक्शा) बनाना।

सम्पूर्ण कार्य निर्वाचन आयोग के सांविधिक प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों की सहायता से बिना भय या पक्ष के, सख्ती से व्यावसायिक तरीके से, संलग्न अनुसूची के अनुसार, नियत समय अवधि के अंदर किया जाना है। विचार यह है कि अगले पुनरीक्षण से पहले मतदान केंद्रों की सम्पूर्ण पुनरीक्षित/ अधतित सूची तैयार की जाती है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदित करवा ली जाए।

कृपया कार्य को ऐसे व्यावसायिक तरीके से एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए कि मतदान केन्द्रों के यौक्तिकीकरण के बाद निकट भविष्य में मतदान केन्द्रों की लोकेशन में अंतिम क्षणों में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

मतदान केन्द्र/ भाग सीमा यौक्तिकीकरण एवं बेहतर बीएमएफ वाले वैकल्पिक भवनों का खोज करने के लिए जीआईएस एप्लीकेशन के प्रयोग पर एक नोट को आई टी डिवीजन द्वारा अंतिम रुप दिया जा रहा है और इसे शीघ्र ही भेजा जाएगा।

कृपया इस पत्र की पावती electoral.rolls.eci@gmail.com पर ई-मेल द्वारा दें।

भवदीय,

(आर.के.श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव

अनुबंध

मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण-क्रिया कलापों की सूची

क्रम सं0	**किए जाने वाले क्रियाकलाप**	**अपेक्षित दिनों की संख्या**
1.	विद्यमान एवं संभावित मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के कार्य के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रुप में पदनामित करना	2
2.	पत्र में यथा उल्लिखित बी एम एफ सुविधाओं एवं अन्य पहलुओं के सत्यापन के लिए विस्तृत भौतिक सत्यापन	30
3.	रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव को तैयार करना एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना	3
4.	मतदान केन्द्रों की ड्राफ्ट सूची को तैयार करना एवं प्रकाशित करना	3
5.	भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर कन्ट्रोल टेबल एन्ट्री की जानी है	14
6.	सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की स्थानीय शाखाओं को मतदान केन्द्रों की विद्यमान सूची में संशोधन के प्रस्तावों की प्रतियों की आपूर्ति करना	2
7.	मतदान केन्द्रों की ड्राफ्ट सूची को पब्लिक डोमेन पर डालना एवं पब्लिक से सुझाव आमन्त्रित करना	7
8.	पब्लिक द्वारा दिए गए सुझावों पर निर्णय लेना	5
9.	मतदान केन्द्रों की ड्राफ्ट सूची पर विचार-विमर्श करने के लिए राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों और विधायकों/ सांसदों के साथ बैठक करना। ऐसी बैठक के दौरान प्राप्त विचारों पर विचार-विमर्श किया जाना।	7
10.	राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों एवं विधायकों/ सांसदों द्वारा सुझाई गई लोकेशनों के भौतिक सत्यापन के पश्चात दिए गए सुझावों पर निर्णय लेना;	10
11.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार प्रस्ताव तैयार करना (राजनैतिक दलों द्वारा सुझाव गए, यदि कोई हो,	21

	संशोधन के साथ), जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संवीक्षा करना एवं अग्रेषित करना, और इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जांच शीट एवं निर्धारित प्रमाणों सहित प्रस्तुत करना।	
12.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रारंभिक संवीक्षा करना एवं जांच करना।	30
13.	सम्पूर्ण संवीक्षा के पश्चात, भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन के लिए टिप्पणियों/ संस्तुतियों सहित प्रस्ताव को प्रस्तुत करना	15
14.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग का अनुमोदन, निर्वाचक नामावली के ड्राफ्ट प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक महीना पहले।	10
15.	जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन संसूचित करना	2
	दिनों की कुल संख्या	**161**